

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश : जबलपुर

॥ आदेश ॥

कमांक A/5279 / चार-9-09 / 2023 पेंशन

जबलपुर, दिनांक 31/08 / 2023

श्री सुखसेन प्रसाद, रिकार्ड सप्लायर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस पेंशन नियम 1976 के नियम 42 (1) (ए) के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु दिनांक 31.07.2023 को प्रस्तुत आवेदन पत्र उनकी 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप स्वीकार किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के द्वारा, श्री सुखसेन प्रसाद, रिकार्ड सप्लायर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 30.09.2023 अपराह्न से स्वैच्छापूर्वक सेवानिवृत्त होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

सही / -

(रामकुमार चौबे)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन कमांक A/5280 / चार-9-09 / 2023 पेंशन
प्रतिलिपि:-

जबलपुर, दिनांक 31/08 / 2023

1. संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, जबलपुर
2. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर (म0प्र0)
3. संभागीय पेंशन अधिकारी, जिला पेंशन कार्यालय, जबलपुर
4. रजिस्ट्रार प्रशासन / न्यायिक / डी0ई0 / सतर्कता / ई0 / आई0एल0आर0 परीक्षा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
5. माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
6. डिप्टी रजिस्ट्रार, न्यायिक / ओ0एस0डी0 लेखा / लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय, म0प्र0, जबलपुर
7. ज्वाइंट रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
8. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
9. श्री असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
10. श्री प्रशासनिक अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
11. सहायक, स्थापना / सेवापुस्तिका / वेतननिर्धारण / अवकाश / बजट / वेतन पत्रक / अग्रिम / टी0ए0 / शिकायत / समूह बीमा / कार्य / कम्प्यूटर, उच्च न्यायालय, म0प्र0 जबलपुर।
12. अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टाईपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
13. श्री सुखसेन प्रसाद, रिकार्ड सप्लायर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

A